भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

(भारतीय सहकारी आन्दोलन की शीर्षस्थ संस्था)

3, *सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली*–110 016

दूरभाष : 26512750, 26861988, 26861472, 26565146
फैक्स : 011-26863248, 41811153
ई. मेल : ncuidel@ndb.vsnl.net.in

संदर्भ सं. : एन.सी.यू.आई./सी.डी.एन./11(ए.जी.एम.)/2017–2018 दिनांक 22.08.2017

भा.रा.सह. संघ की सभी सदस्य संस्थाओं के
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी

विषय : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों का नामांकन ।

प्रिय महोदय/महोदया,

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की उप विधि संख्या 12(ii) के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिये सामान्य निकाय की अगली बैठक 20 सितम्बर, 2017 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सभागार में आयोजित होनी निश्चित हुई है ।

2. इसलिये भा.रा.सह.संघ की प्रत्येक सदस्य संस्था को भा.रा.सह. संघ की सामान्य निकाय के लिये अपने <u>एक</u> प्रतिनिधि का नामांकन करना है । सदस्य संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधियों का नामांकन बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 की धारा 38(3) और भा.रा.सह. संघ के उपनियम संख्या 11(ए) के अन्तर्गत किया जाना है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा 38(3)

> जहां एक बहु–राज्य सहकारी समिति के सामान्य निकाय या बोर्ड की बैठक के किसी सहकारी समिति अथवा अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है वहां सहकारी समिति अथवा अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैठकों में प्रतिनिधित्व सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष/अध्यक्षा अथवा मुख्य कार्यकारी या बोर्ड के सदस्य द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया जायेगा बशर्ते कि सदस्य को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और जहां कहीं सहकारी समिति या बहु–राज्य सहकारी समिति में किसी भी कारण से कोई बोर्ड नहीं है ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति के प्रशासक, किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।
>
> जहां एक बहु–राज्य सहकारी समिति के उप–नियमों में किसी अन्य संस्था के सामान्य निकाय या ऐसी बहु–राज्य सहकारी समिति के बोर्ड की बैठक में भाग लेने का प्रावधान किया गया है वहां ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

उप नियम संख्या 11(ए) : सामान्य निकाय में प्रतिनिधित्व

(क) समिति का प्रत्येक सदस्य संघ के सामान्य निकाय हेतु एक प्रतिनिधि भेजेगा ।

3. इसलिये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सामान्य निकाय की बैठक जो की 20 सितम्बर , 2017 को आयोजित होनी है के लिये अनुबंध–अ पर संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में अपने एक प्रतिनिधि का नाम और पता 10 सितम्बर तक भेजने की कृपा करें।

4. सदस्य समिति की सक्षम निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे समिति की मोहर के साथ समिति के अध्यक्ष / सचिव / मुख्य कार्यकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, भी नामांकन के साथ भेजी जानी चाहिये ।

5. मैं आपका आभारी रहूँगा यदि आपके प्रतिनिधि का नामांकन, या नामांकन में कोई बदलाव हो तो उसे जल्द से जल्द संघ में भेज दें ताकि समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(एन0सत्यनारायण)
प्रभारी मुख्य कार्यकारी

संलग्न : यथोपरि ।

अनुबंध अ

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

भा0रा0सह0संघ के सामान्य निकाय की बैठक में प्रतिनिधि के नामांकन हेतु प्रोफार्मा

1. सदस्य संस्था का नाम

2. सदस्य संस्था का पता / टेलीफोन न0 / फैक्स / ई–मेल

3. प्रतिनिधि का विवरण

प्रतिनिधि का नाम और पदनाम(अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी / निदेशक / प्रशासक)	पत्राचार हेतु प्रतिनिधि का पता, टेलीफोन और फैक्स नम्बर	प्रतिनिधि के विधिवत सत्यापित हस्ताक्षर
	पत्राचार का पता ई–मेल टेलिफोन / फैक्स नं0 मेबाइल नं0	हस्ताक्षर सत्यापित (हस्ताक्षर सत्यापित करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम)

4. नामित करने वाले निकाय यथा बोर्ड / प्रशासक के प्रस्ताव संख्या ....

दिनांक.................................. के तहत नामित ।

5. बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख ....।

(अध्यक्ष / सचिव / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी / प्रशासक के हस्ताक्षर)

संस्था की मोहर
(कृप्या प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न करें।)